

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01 /2023-24

पत्रांक 12 मोतिहारी,

दिनांक 05/01/2024

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- दिनांक 15.01.2024 से 18.01.2024 तक कार्यालय अवधि में।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि :- दिनांक 20.01.2024, 03.00 बजे अपराह्न तक।
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 20.01.2024, 03.30 बजे अपराह्न तक।
5. प्राईस बीड खोलने की तिथि :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
6. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :-  
क. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, अंचल, मोतिहारी।  
ख. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- कंडिका 6 के क एवं ख के कार्यालय में।
8. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (परिमाण विपत्र की राशि) (लाख में )	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) जो लौटाया नहीं जायगा	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	गंडक निरीक्षण भवन, मोतिहारी का वार्षिक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य।	4.52298	9100.00	750.00	15.02.2024
2	ढेकहॉ निरीक्षण भवन, मोतिहारी का वार्षिक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य।	4.33944	8700.00	750.00	15.02.2024
3	मंगलापुर निरीक्षण भवन, मोतिहारी का वार्षिक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य।	6.74000	13500.00	1250.00	15.02.2024
4	चटिया निरीक्षण भवन, मोतिहारी का वार्षिक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य।	5.35000	10700.00	1250.00	15.02.2024

9. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त नियम अहर्ता, अग्रघन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

R. Prakash  
05/01/24

कार्यपालक अभियंता  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी

H. S.  
5/01/24



## नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है जिनके अनुसार अग्रधन की राशि के रूप में प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/-रु० के गुणक में होगा, जमा करना होगा।
2. निविदा के साथ अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्सड डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/ डाकघर का बचत पासबुक एक /दो /तीन वर्षीय सावधि जमा / राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड / राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता / वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो।
3. अधोहस्ताक्षरी /विभाग को बिना बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. निविदा प्रपत्र वर्णित परिमाण विपत्र का मूल्य का भुगतान online mode (e-Payment mode) O-GRAS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।  
Physical mode/Manual Payment System के तहत बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी को भुगतये पर ही निविदा दस्तावेज निर्गत किया जायेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
5. जल संसाधन विभाग के 528 दिनांक 13.06.2013 का अनुपालन अनिवार्य होगा इसमें प्रावधानित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा जो निम्नवत है:-
  - (i) समुचित श्रेणी में निबंधित हो तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया हो।
  - (ii) निविदा सूचना में अंकित अग्रधन की राशि समुचित रूप में समर्पित किया गया हो।
  - (iii) निम्न आशय का शपथ-पत्र ( Affidavit ) निविदा के साथ समर्पित किया गया हो

I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake / forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."
6. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 13589 (S) पटना दिनांक 13.12.2011 की कंडिका (4) के उपर कंडिका ३ (च) में निहित प्रावधन के अनुसार रु० 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रूपया तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में पूर्वी चम्पारण जिला में निबंधित अभिकर्ता ही भाग ले सकेंगे।
7. निविदाताओं को परिमाण विपत्र (निविदा दस्तावेज) क्रय करने के समय विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र एवं अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा दस्तावेज उन्हें निर्गत नहीं किया जायेगा।
8. निविदा को मुहरबंद लिफाफा में क्रमांक 01 एवं 02 जिसने क्रमशः प्री-क्वालिफिकेशन वीड प्राइस वीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को निविदा आमंत्रण सूचना के क्रमांक 7 में उल्लिखित कार्यालय में मात्र प्री-क्वालिफिकेशन वीड वाले लिफाफा को ही खोला जायेगा। प्री-क्वालिफिकेशन में सफल निविदाकारों को दूसरे लिफाफा जिससे प्राइस वीड रहेगा को बाद में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार प्री-क्वालिफिकेशन वीड में असफल होंगे उनका प्राइस वीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
09. सफल निविदादाता को प्रपत्र-F2 (क्लाउज-23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।

*Handwritten initials/signature*

10. समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश/निदेश इस निविदा में मान्य होगा।
11. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय कार्य अवधि में अघोहस्ताक्षरी से सम्पर्क स्थापित करे या सूचना पट्ट पर देखे।
12. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौती विपत्र से की जाएगी।
13. रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज के आधार पर आपूर्तिकर्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से काटी जाएगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में की कटौती विपत्र से की जाएगी।
14. निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 536 दिनांक 18.07.2023 एवं पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439(E), दिनांक 17.07.2023 के आलोक में C.W.J.C. No. 9941/2022 में दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
15. निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447(S) दिनांक 16.01.2020, पत्रांक 448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449(S) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
16. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
18. "चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता" से संबंध में विभागीय पत्रांक- 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
19. संवेदक निविदा क्रय करने के पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
21. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
22. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्राक्धानों के आलोक में निविदा निस्तारण किया जायेगा।
20. Call before you Dig App का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

*F. Pralcah*  
 05/01/24  
 कार्यपालक अभियंता  
 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी  
*Shu*  
 05/01/24

पत्रांक  
प्रतिलिपि:-

12 मोतीहारी /

जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 05/01/2024

R. Prakash  
05/01/24

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी।

H. S. 05/01/24

दिनांक 05/01/2024

पत्रांक  
प्रतिलिपि:-

12 मोतीहारी /

अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतीहारी / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल सं0-17, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना / जिला पदाधिकारी, मोतीहारी / आरक्षी अधीक्षक, मोतीहारी / अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल - 2, बेतिया / मलाही, / मोतीहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

R. Prakash  
05/01/24

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतीहारी।

H. S. 05/01/24